विकास और विश्वास फिर से - कांग्रेस का साथ फिर से

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव

2017

चुनाव घोषणा पत्र

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

2017 में कांग्रेस फिर से क्यों ?

कंग्रेस ने निभाया हर वायदा, विकास पहले से कहीं ज्यादा

पॉच साल - तरक्की बेमिसाल
बढ़ा हिमाचल - बना खुशहाल
हुआ निर्माण - मिली पहचान
हिमाचल बना - भारत की शान

आइए बढ़ाएं हाथ, खुशहाली के साथ

कांग्रेस का वायदा-विकास होगा उम्मीद से ज्यादा

चुनिए इस बार फिर से -

✓समान और समुचित विकास
✓साफ़ और पारदर्शी प्रशासन
✓ज़िम्मेदार और जवाबदेह सरकार
✓अगले पॉच साल - फिर से खुशहाल

प्रस्तावना

सम्मानित साथियों,

लोकतंत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं "विश्वास और विकास"। पांच साल पहले 2012 के पिछले विधान सभा चुनाव में जनता के समर्थन और विश्वास के कारण ही कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को देवभूमि हिमाचल में जन सेवा का अवसर मिला था। छठी बार मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विकास में सबकी भागीदारी के लक्ष्य को पाने के लिए दिन-रात एक कर दिया। प्रदेश में विकास को पहला उद्देश्य मानकर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सरकार के कहने और करने के बीच बिल्कुल भी अंतर नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के साथ 25 दिसंबर 2012 से पार्टी के घोषणापत्र को पूरी गंभीरता से लागू करना प्रारंभ कर दिया था।

देश की सबसे पुरानी तथा सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी का सेवा तथा संकल्प का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। यह इतिहास साक्षी है कि सामाजिक न्याय तथा अंतिम पायदान पर खड़े आम जन के संघर्षों को ही कांग्रेस ने अपना ध्येय बनाते हुए देश में समर्पित सेवा का नया अध्याय लिखा है। भारत की अखंडता, न्याय, शांति तथा सेवा जैसे मूल्य जिस नींव पर रखे गए हैं उसे कांग्रेस ने अनगिनत बलिदानों से मज़बूत किया है। सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकता कांग्रेस के लिए सर्वोच्च लक्ष्य रहा है जिसे स्वतंत्रता आन्दोलन से लेकर आज तक कांग्रेस द्वारा निभाया गया है। विश्व के सामने जो युवा भारत एक सशक्त, सम्माननीय तथा विकासशील राष्ट्र के रूप में गर्व से खड़ा है, इस भारत के निर्माण में कांग्रेस ने जो अथक प्रयास तथा सेवा भाव से भरपूर निष्ठा दिखाई है वह निश्चित ही सभी राजनैतिक दलों के लिए अपने आपमें एक आदर्श है।

हिमाचल प्रदेश में 2012 के चुनावों में कांग्रेस के सत्ता में आते ही ध्वस्त प्रशासन व्यवस्था और प्रदूषित प्रशासनिक वातावरण की चुनौतियां थी। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी प्रतिशोध की भावना के, घोषणा पत्र में जनता से किए वादों को एक-एक कर पूर्ण कर दिखाया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने "जो कहा, वो किया"। जन कल्याण को समर्पित यह अवधि हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम

अध्याय है।

वहीं दूसरी तरफ झूठे वायदों और राजनैतिक जुमलों का इस्तेमाल कर केन्द्र में आई भाजपा सरकार ने अपनी दिशाहीन नीतियों से भारत के सामने एक नया आर्थिक तथा सामाजिक संकट खड़ा कर दिया है। "मोदी सरकार" ने अपने तानाशाह रवैये से जो गैर-ज़िम्मेदाराना माहौल देश में तैयार किया है उससे देश की अर्थव्यवस्था तंगहाली के कगार पर खड़ी हो गई है। बिना किसी दूरदर्शिता और दूरगामी लक्ष्य के लागू की गई "नोट-बंदी" ने भारत को पूरी दुनिया के समक्ष हंसी का पात्र. बना दिया है। जहां एक तरफ वैश्विक स्तर पर इस हिटलरशाही फैसले की आलोचना हो रही है वहीं दूसरी तरफ देश का बाज़ार पूरी तरह से ठप्प हो गया है। अनगिनत रोज़गार बन्द हुए और देश में खुदरा तथा छोटे व्यापारियों के सामने भूखमरी के हालात पैदा हो गए। "काले धन के खिलाफ लड़ाई" का नारा देने वाली मोदी सरकार ने अपनी असफलताओं से बेशर्मी से मुंह मोड़ लिया और भारत के सामने "कैशलैस अर्थव्यवस्था" का नया नारा दिया । देश के गिने-चुने अमीरों के लिए लाई गई इस योजना में जहां अमीरों का काला धन सफेद हुआ वहीं बैकों की लाइनों में भारत के सैकड़ों आम आदमियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। "मोदी सरकार" अर्थव्यवस्था को लाचार व विकलांग करने के क्रम में यहीं नहीं रूकी, बल्कि "नोट-बंदी" की मार से धीरे-धीरे ऊभर रहे व्यापारियों तथा भारत के खुदरा बाज़ार को रातोंरात गैर-जिम्मेदाराना तरीके से लागू की गई "जी०एस०टी०" की भेट चढ़ा दिया। "नोट-बंदी" के बाद रही-सही कसर गलत तरीके से लागू की गई "जी०एस०टी०" ने पूरी कर दी और भारत की विकास दर कई दशकों में सबसे नीचे चली गई। भाजपा की इन्हीं गलत नीतियों का परिणाम रहा कि देश में भाजपा सरकार के आने के बाद से बेहिसाब महंगाई बढ़ने लगी और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। देश को अनाज देने वाला किसान भूख से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है और हमारे समाज की नींव मजदूर वर्ग की महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। जहां एक ओर भारत के चुनिंदा धनपतियों उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों का ऋण देकर भारत से बाहर भेज दिया जाता है, वहीं भारत का भविष्य आज बेरोज़गार नौजवानों की शक्ल में दर-दर की ठोकरें खा रहा है। करोड़ों रोज़गार देने का वायदा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार आज भी अपनी जुमलेबाजी में ही मस्त है। जिस देश में सदियों से दीपावली और ईद आपस में मिलजुलकर मनाने की महान परम्परा रही है, आज उसी

भारत की गलियों में, सड़कों पर "साम्प्रदायिक ताकतें" नंगा नाच कर रही है। लोकतंत्र को भीड़-तंत्र में बदला जा रहा है जहां भीड़ ही नारे लगाकर लोगों का रहन-सहन तय कर रही है। भारत की शान्ति और अखण्डता को उद्योगपतियों ने सोने की लंका में कैदी बना रखा है। चारों तरफ अशान्ति का और भय का जो माहौल देश में तैयार किया गया है उसके लिए भारत की जनता भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा की इन्हीं गलत नीतियों और तानाशाही से खस्ताहाल हो चुकी जनता अब मानती है कि "कमल का फूल, भारत की भूल" था।

वहीं दूसरी ओर "जो कहा वो किया" के सिंद्धात पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए विकास का नतीजा ही है कि हिमाचल प्रदेश को शिक्षा एवं विकास में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वर्ष 2012 से 2017 के कार्यकाल में विकास के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। प्रदेश में युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्रों में रिकॉर्ड संख्या में रोज़गार दिए गए। स्वरोज़गार को भरपूर बढ़ावा दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा के साथ ही तकनीकी शिक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड संख्या में स्कूल तथा कॉलेज खोले गए तथा उनके भवनों का निर्माण करवाया गया। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी हिमाचल ने पूरे देश में सबसे मजबूत जगह बनाई है। बड़ी संख्या में अस्पतालों का निर्माण करवाया तथा स्वास्थ्य संस्थानों को डॉक्टर और उपकरण भी मुहैया करवाए गए। बिजली से लेकर सड़क, सिंचाई, जल आपूर्ति इत्यादि तक हर व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। जनकल्याण की तमाम योजनाओं को पूरा करने के लिए नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश का विकास तभी सुनिश्चित होगा जब समाज के हर तबके को हर स्तर पर बराबरी की जगह मिलेगी। कांग्रेस हमेशा "सबसे कमज़ोर" के लिए तथा उसके हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहेगी। कांग्रेस की इसी राष्ट्रीय भावना ने भारत को विश्व में एक ऐसा स्थान दिलाया जिससे आज भारतवासी गर्व का अनुभव करते हैं। हिमाचल के लोगों ने हमेशा कांग्रेस नेतृत्व के दृष्टिकोण में एक विशिष्ठ स्थान प्राप्त किया है।

हिमाचल प्रदेश की जनता हिमाचल प्रदेश की स्थापना में पण्डित जवाहर लाल नेहरू के योगदान को कृतज्ञतापूर्वक याद करती है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश को पण्डित जवाहर लाल नेहरू

से लेकर अब तक कांग्रेस सरकार के सभी प्रधानमन्त्रीयों व नेतृत्व का सदैव सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को भारत गणराज्य का 18वां राज्य घोषित किया गया जिसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने भी श्रीमती इंदिरा गांधी को सदैव अपना कृतज्ञता से भरा हुआ समर्थन दिया। हिमाचल के प्रति कांग्रेस पार्टी और माननीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के इसी विशेष लगाव तथा सेवा भाव ने हिमाचल सरकार को जनता की सेवा करने के लिए सशक्त किया। साथ ही युवा हिमाचल को स्वावलंबन तथा आत्मसम्मान के मूल्य निर्धारित करने में कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने विशेष प्रयास किए। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार सभी जन-हितैषी विकास के कार्यों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभा पाई है।

2017 के इस विधान सभा चुनाव के लिए हम कांग्रेस पार्टी के नए घोषणा-पत्र के साथ आपके बीच फिर से आ रहे हैं। सभी हिमाचलवासियों से यही आशा है कि उनका "विकास पर विश्वास" बना रहेगा और कांग्रेस पार्टी को जन सेवा का दोबार मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी एक विस्तृत कार्य योजना के आधार पर हिमाचल की जनता की सेवा का संकल्प दोहराते हुए विधान सभा चुनाव 2017 के घोषणा-पत्र प्रस्तुत करती है।

(1)

• जिम्मेदार, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन

1.1 समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी तथा किसी प्रकार की देरी या चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

1.2 शिकायतों का समाधान करने के लिए एक शिकायत निवारण आयुक्त नियुक्त किया जाएगा जो सभी शिकायतों, जिसमें आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में देरी की शिकायतें भी शामिल होंगी, के निवारण बारे आवश्यक कार्रवाई करेगा।

1.3 भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

1.4 सभी भ्रष्टाचार के मामलों की बारीकी से निगरानी की जाएगी ताकि दोषी को समयबद्ध तरीके से सज़ा दी जा सके।

1.5 आई०टी० सुविधा के प्रभावी उपयोग से सरकार की पूरी कार्रवाई को जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से लाया जाएगा।

1.6 प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का स्थानीय स्तर तक विकेन्द्रीकरण किया जाएगा ताकि आम जनता को उनके घर के नज़दीक सार्वजनिक सेवाएं मिल सके।

1.7 सभी सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी रूप से जनता को प्रदान किया जाएगा जिसके लिए एक विशेष एंजेन्सी का गठन किया जाएगा जो सार्वजनिक सेवाओं के सभी पहलुओं पर विचार कर इन्हें कुशलता से सामान्य जन तक पहुँचाएगी। सरकारी तन्त्र का जोर इस बात पर रहेगा कि जनता को सार्वजनिक सेवाएं कुशलता के साथ समयबद्ध रूप से जनता को प्रदान की जाएं।

1.8 प्रक्रियाओं को सरल बनाने, पारदर्शिता लाने तथा समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में सभी स्तरों पर

कम्पयूटरीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(2)

• महंगाई पर नियन्त्रण तथा विकास

2.1 मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। नोटबंदी तथा जी०एस०टी० के अन्तर्गत गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारी दर पर टैक्स लगने से देश की आर्थिक व्यवस्था की बुरी हालत हो गई है। सभी वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया है तथा व्यवसाय व उद्योग को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि महंगाई पर नियन्त्रण कर आम आदमी को राहत दी जाये तथा व्यापार व उद्योग को नुक्सान से बचाने के लिए प्रक्रिया को आसान और उदार बनाया जाए।

2.2 भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था में आई मंदी को दूर करने तथा उपभोक्ता के हितों की रक्षा तथा व्यापार व उद्योग से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए कांग्रेस सरकार "राज्य मूल्य निर्धारण, नियन्त्रण तथा व्यवसाय एवं उद्योग विकास आयोग" का गठन करेगी।

2.3 जी०एस०टी० में हिमाचल प्रदेश के लिए निर्धारित 10.00 लाख की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 20.00 लाख करने का मामला केन्द्र सरकार से प्रभावी रूप से उठाया जाएगा।

2.4 पैट्रोल व डीज़ल पर वैट कम किया जाएगा।

(3)

• कुशल वित्तीय प्रशासन

3.1 संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन और उचित नियोजन से राज्य की आय तथा प्रतिव्यक्ति आय बढ़ा कर समुचित विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

3.2 विकास की रणनीति पर जोर देते हुए गरीबी, बेरोज़गारी और आर्थिक व सामाजिक असमानता का उन्मूलन किया जाएगा।

3.3 वित्तीय संसाधन बढ़ाकर तथा अनुत्पादक व्यय कम कर राजकोषीय घाटे को कम किया जाएगा।

3.4 योजना व्यय को दोगुना किया जाएगा ताकि सड़कों, सिंचाई एवं जल आपूर्ति योजना, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संस्थानों इत्यादि जैसी नई परिसम्पतियां बनाई जा सके।

3.5 हिमाचल प्रदेश के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में पहले की भांति केन्द्र से शत-प्रतिशत वित पोषण लागू करने के लिए केन्द्र सरकार से मामला उठाया जाएगा।

3.6 ऐसा वित्तीय एवं मौद्रिक प्रशासन लागू किया जाएगा ताकि राज्य के खजाने की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा जा सके।

(4)

• कर्मचारी वर्ग

4.1 4-9-14 का लाभ कांग्रेस सरकार बनने पर पूर्ण रूप से तुरन्त सभी सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा।

4.2 सभी "आउटसोर्स" कर्मचारियों को, जिनमें बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा सोसाइटी में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे, को 3 साल की सेवा के बाद नियमित किया जाएगा।

4.3 अनुबन्ध कर्मचारियों को 2 साल की सेवा के बाद नियमित किया जाएगा।

4.4 दैनिक भोगी कर्मचारियों को 3 साल की सेवा के बाद नियमित किया जाएगा।

4.5 अंशकालिक कर्मचारियों को 3 साल की सेवा के बाद दैनिक भोगी बना दिया जाएगा।

4.6 पैट, पैरा, कम्पयूटर तथा अन्य वर्ग के शिक्षकों को नियमित किया जाएगा।

4.7 आर०के०एस० कर्मचारियों, जिसमें सरकारी मैडिकल कॉलेज और अस्पताल, एन०एच०एम० तथा सभी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सोसाइटी में नियुक्त आर०के०एस० कर्मचारी भी शामिल होंगे, को राज्य सरकार के विभागों में अनुबंध कर्मचारियों के समान नियमतीकरण नीति लागू की जाएगी।

4.8 अनुकंपा तथा चिकित्सा के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद रोज़गार प्रदान करने की नीति का उदारीकरण किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे प्रत्येक परिवार में कम से कम एक आश्रित को सरकारी रोज़गार प्रदान किया जाए। यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर भी लागू होगी।

4.9 दैनिक मज़दूरी 210 रूपये से बढ़ाकर 350 रूपये कर दी जाएगी।

4.10 राज्य सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के आर्थिक एवं सेवा सम्बन्धी हितों को सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

(5)

• युवा वर्ग

5.1 बेरोज़गारी भत्ते के लिए पात्रता की शर्तों को उदार बनाया जाएगा ताकि सभी बेरोज़गार युवाओं को यह भत्ता मिले।

5.2 बेरोज़गारी भत्ते को 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए यह भत्ता बढ़ाकर 2000 रूपये प्रति मास किया जाएगा।

5.3 राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लगभग 70,000 युवाओं को रोज़गार प्रदान किया है। अगले पांच साल में सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों में कम से कम 1,50,000 युवाओं को रोज़गार प्रदान किया जाएगा।

5.4 राज्य सरकार ने पहले ही हिमाचल प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम की स्थापना कर दी है। इस निगम द्वारा ऐसे नए व अभिनव पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे जिनसे अधिक रोज़गार व ज्यादा आय प्राप्त हो। इस निगम का यह कर्तव्य होगा कि पाठ्यक्रम पूरा होने पर युवाओं के उपयुक्त रोज़गार को सुनिश्चित करें।

5.5 निजी क्षेत्र में बेहतर और अधिक रोज़गार के अवसर प्रदान करवाए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए एक निति बनाई जाएगी कि निजि क्षेत्र में भी हिमाचल के युवाओं को नौकरी की सुरक्षा तथा अन्य सेवा व वित्तीय लाभ सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बराबर हों।

5.6 सभी जिलों में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे तथा खेल अकैडमी खोली जाएंगी।

5.7 पंचायत स्तर पर जिम, पुस्तकालय तथा खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा ताकि युवा वर्ग की ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों के लिए संचालित किया जा सके।

5.8 सभी पंजीकृत युवा मंडलों को उनके मंडल की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

5.9 युवा क्लबों को सर्पोटस किट मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।

5.10 व्यवसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी जिला मुख्यालयों में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला के माध्यम से कोचिंग केन्द्र प्रारम्भ किए जाएंगे।

(6)

• पैंन्शनर और वरिष्ठ नागरिक

6.1 सभी पात्र पैंन्शनभोगियों को वित्तीय लाभ देने के लिए 5-10-15

प्रतिशत पैंन्शन भत्ते को मूल पैंन्शन में शामिल किया जाएगा।

6.2 निश्चित या नियमित आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेने के विकल्प का एक बार और नया अवसर सभी सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी वर्ग को दिया जाएगा।

6.3 सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वैबसाइट पर "वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर" बनाना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सभी पैंन्शनधारी और वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकार, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी सुविधाओं, रियायतों और सेवा तथा वित्तीय लाभों की जानकारी मिल सके।

6.4 सभी जिला मुख्यालयों पर "ओल्ड एज होम" निर्मित किए जाएंगे तथा उनमें समुचित मात्राा में स्टॉफ उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक इनमें रहकर एक सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम हों।

6.5 वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क चिकित्सा जांच और दवाइयों की मुफ्त आपूर्ति के लिए गांव स्तर तक विशेष चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

6.6 "वरिष्ठ नागरिक कॉर्ड" जारी करने के लिए पंचायत सचिव स्तर तक के अधिकारियों को अधिकृत किया जाएगा ताकि सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर के समीप ही यह कॉर्ड उपलब्ध कराए जा सके।

6.7 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पैन्शन तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त व अधिक सामाजिक सुरक्षा पैन्शन दी जाएगी।

(7)

• महिला सशक्तिकरण

7.1 जिला व उपमण्डल मुख्यालयों में सरकारी क्रैच खोले जाएंगे ताकि

कामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखभाल और उचित पोषण की सुविधा मिले और महिलाओं को इन सभी क्रैच में प्रभारी के रूप में कार्य करने के लिए रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध हों।

7.2 जिला व उपमण्डल मुख्यालयों के स्तर पर "कामकाज़ी महिला छात्रावास" खोले जाएंगे ताकि सभी कामकाज़ी महिलाओं को उचित आवास सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

7.3 निर्धन, वृद्ध, विकलांग, अनाथ, विधवा और असहाय महिलाओं के लिए एक नई आवास योजना तैयार की जाएगी जिसके लिए राज्य के बजट में पर्याप्त धनराशि रखी जाएगी। इस योजना में उनके घरों के मुरम्मत व नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

7.4 विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाकर 1,00,000 रूपये कर दिया जाएगा।

7.5 महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक महिला आई०टी०आई०/तकनीकी संस्थान खोले जाएंगे।

7.6 पूरे राज्य के लिए उपयुक्त मोबाइल ऐप के साथ एक टोल फ्री नम्बर शुरू किया जाएगा जिसमें केवल एक बटन के स्पर्श के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराध की रिर्पोट की जा सके।

7.7 आवश्यकतानुसार तथा उन सभी स्थानों पर महिला मण्डल भवनों का निर्माण किया जाएगा जहां पर अभी महिला मण्डल भवन निर्मित नहीं हुए हैं। मौजूदा व नए सभी महिला मण्डलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए बजट प्रावधान किया जाएगा।

7.8 सभी पंजीकृत महिला मंडलों को उनके भवनों की उचित देखभाल और रख-रखाव के लिए एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

7.9 महिला मंडलों को कुटीर औद्योगिक इकाई, अन्य उत्पादक इकाई इत्यादि के लिए 1.00 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

7.10 जिला मुख्यालयों में महिला थाने खोले जाएंगे ताकि महिलाओं को सरंक्षण की सेवाएं आसानी से प्राप्त हो सके।

7.11 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नि:शुल्क चिकित्सा जांच और दवाइयों की मुफ्त आपूर्ति के लिए गांव स्तर तक विशेष चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए 75,000 रूपये का अनुदान दिया जाएगा।

7.12 राज्य महिला आयोग को और सशक्त किया जाएगा ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा सके।

7.13 राज्य महिला कल्याण बोर्ड को और अधिक मज़बूत किया जाएगा ताकि महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े मुद्दों पर इसके सदस्य प्रकाश डाल सकें तथा उचित नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार को उचित सुझाव मिल पाएं।

(8)

• अनुसूचित जाति विकास और कल्याण

8.1 कांग्रेस सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि अनुसूचित जाति को सामाजिक और आर्थिक रूप से सामान्य जनसंख्या के बराबर लाए। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति के विकास व कल्याण को और अधिक मजबूत करने और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक अनुसूचित जाति के सदस्य के जीवन में कारगर सुधार के नए तरीकों और साधनों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

8.2 कांग्रेस सरकार द्वारा "हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग" की स्थापना पहले ही कर दी है। इस आयोग को अनुसूचित जातियों के अधिकारों की पूर्ण रक्षा करने के लिए और मजबूत किया जाएगा।

8.3 अनुसूचित जाति बहुल जनसंख्या क्षेत्रों का पुन:अध्ययन किया जाएगा ताकि उनकी वर्तमान जरूरतों का पूर्ण आकलन किया जा सके । अनुसूचित जाति उपयोजना मुख्य रूप से इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित होगी।

8.4 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में व्यवसायिक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्थापित कोचिंग सैन्टर में अनुसूचित जाति समुदाय के छात्रों को मिलने वाले भत्ते को कम से कम 50 प्रतिशत और बढ़ाया जाएगा।

(9)

• जनजाति विकास और कल्याण

9.1 कांग्रेस पार्टी जनजाति क्षेत्रों के विकास और जनजाति लोगों के कल्याण के लिए सदैव संकल्पित तथा प्रतिबद्ध रही है। इन क्षेत्रों और उसके लोगों के विकास और कल्याण के लिए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को कांग्रेस सरकारों द्वारा ही लिया गया है। उदाहरण के तौर पर जनजातीय उपयोजना के लिए कुल योजना का 9 प्रतिशत परिव्यय निर्धारित करना, बजट में जनजातीय क्षेत्रों के लिए सिंगल डिमांड बनाना, हैलिकॉप्टर सेवा शुरू करना, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन प्रारम्भ करना इत्यादि, सभी निर्णय जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब लिए गए। कांग्रेस सरकार जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण के लिए तंत्र को और मजबूत करेगी।

9.2 जनजातीय क्षेत्रों में लागू "नौतोड़ नीति" का उदारीकरण किया जाएगा ताकि जनजातीय समुदाय के लोगों को आसानी से भूमि मिल सके।

9.3 जनजातीय क्षेत्रों के तीव्र विकास और कल्याण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वन सरंक्षण अधिनियम से विशेष छूट दी जाएगी।

9.4 राज्य में भाजपा सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम स्तर के बजाए पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया था जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। कांग्रेस सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे राज्य में ग्रामीण स्तरीय समितियों का गठन किया। जनजातीय व गैर जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार प्रदान किए। कांग्रेस सरकार इस अधिनियम को अब "मिशन मोड" में कार्यान्वित करेगी ताकि सभी पात्र जनजाति लोगों और वन वासियों को जल्द से जल्द वन अधिकार मिलें।

9.5 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में व्यवसायिक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्थापित कोचिंग सैन्टर में अनुसूचित जाति समुदाय के छात्रों को मिलने वाले भत्ते को कम से कम 50 प्रतिशत और बढ़ाया जाएगा।

(10)

• पिछड़े वर्ग का विकास और कल्याण

10.1 गुज्जर, गद्दी, लबाणा, गोरखा और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए गठित बोर्डों को और अधिक मजबूत किया जाएगा ताकि इन बोर्डों के सदस्यों से इन वर्गों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके तथा इनके माध्यम से इन वर्गों के विकास और कल्याण के लिए समन्वय बनाया जाए।

10.2 इन वर्गों के लिए सामान्य राज्य योजना में से अतिरिक्त और अलग योजना राशि का प्रावधान किया जाएगा जो केवल पिछड़े वर्ग के विकास और कल्याण के लिए समर्पित होगी।

10.3 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इन वर्गों की अतिरिक्त आवश्यकताओं का नवीन अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया जाएगा ताकि उनकी नई और उभरती आकांक्षाओं को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा सके।

(11)

• सैन्य और पैरा-मिलिट्री वर्ग का विकास और कल्याण

11.1 इस वर्ग की मांग के अनुसार "वन रैंक-वन पैंन्शन स्कीम" को संशोधित करने और कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ असरदार और कारगर ढंग से उठाया जाएगा।

11.2 पूरे राज्य में सी०एस०डी०, ई०सी०एच०एस० तथा पॉली क्लिनिक्स के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सुविधाओं के विस्तार के लिए नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

11.3 पूर्व सैनिकों को सार्वजनिक वितरण की दुकानों, अस्पताल में दवा की दुकानों व अन्य कार्यों में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित कोटा निर्धारित कर उन्हें कार्य आबंटित किए जाएंगे।

(12)

• शिक्षा

12.1 कांग्रेस सरकारों के निरंतर प्रयासों से शिक्षा संस्थानों का पर्याप्त विस्तार पहले ही हो चुका है। अब शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा संस्थानों के भवनों का निर्माण तथा शिक्षकों के सभी खाली पदों को भरने को प्राथमिकता दी जाएगी। नए संस्थानों को आवश्यकतानुसार खोला जाएगा।

12.2 राज्य के सभी जिलों में उत्कृष्ठ महाविद्यालय और आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे।

12.3 सभी आई०आर०डी०पी० परिवार से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।

12.4 सभी लड़कियों को मुफ्त व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

12.5 सी०बी०सी०एस० (रूसा) पद्धति की प्राध्यापकों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों की सलाह से समीक्षा की जाएगी और जो भी इस पद्धति में कमियां पाई जाएंगी उन्हें तुरन्त दूर किया जाएगा।

12.6 35,000 मेधावी छात्रों को दसवीं व +2 स्तर तक, 12,000 को स्नातक स्तर पर तथा 3,000 को स्नातकोत्तर स्तर पर, यानि कुल 50,000 मेधावी छात्रों को प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा तथा उन्हें

1 जी०बी० डाटा मुफ्त प्रदान किया जाएगा।

12.7 अनुसूचित जाति श्रेणी के 10 मेधावी छात्र-छात्राओं को "डॉ० भीम राव अम्बेदकर छात्रवृत्ति प्रोग्राम" के अन्तर्गत भारत या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए समुचित मात्रा में छात्रवृत्ति दी जाएगी।

12.8 सभी स्कूलों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति के साथ शौचालय बनाए जाएंगे। सभी विद्यालयों में लड़कियों के लिए यह शौचालय छः मास के भीतर बनाए जाएंगे।

12.9 स्कूल और कॉलेजों में छात्रावास, विशेष रूप से कन्या छात्रावास, मिशन मोड में बनाए जाएंगे।

12.10 पिछड़े क्षेत्रों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।

12.11 दो वर्षों के भीतर शत-प्रतिशत एनरोलमैंट तथा शुन्य डरॉप-आऊट दर लाई जाएगी।

12.12 सभी महाविद्यालयों तथा +2 स्तर के विद्यालयों में आई०टी० लैब स्थापित की जाएगी जिसमें समुचित इंटरनैट सुविधा उपलब्ध होगी।

12.13 सभी महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों को मुफ्त वाई० फाई० सुविधा प्रदान की जाएगी।

12.14 व्यवसायिक और रोजगारपरक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक आई०टी०आई० और तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलकर तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(13)

• स्वास्थ्य

13.1 राज्य में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। रोगियों को दवाइयों के मुफ्त वितरण के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिसिन स्टोर बनाए

जाएंगे।

13.2 सभी जिला स्तर के अस्पतालों को मजबूत और उन्नत बनाया जाएगा ताकि सभी जिलों में सुपर-स्पैशियलिटि सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

13.3 सभी कठिन इलाकों या जहां भारी बर्फबारी होती हो में टेलि-मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

13.4 डॉक्टर, पैरा-मैडिकल और तकनीकी कर्मचारियों के कैडर में 25% वृद्धि की जाएगी ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।

13.5 सभी सरकारी मैडिकल शिक्षा संस्थानों के मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ और स्तरोन्नत कर एम्स के बराबर लाया जाएगा।

13.6 बी०पी०एल० परिवारों का बाहरी और इन्डोर चिकित्सा उपचार नि:शुल्क होगा और अतिरिक्त वित्तीय बोझ राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वहन किया जाएगा।

13.7 स्वास्थ्य संस्थानों के नए भवनों का निर्माण किया जाएगा तथा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान का आवश्यकतानुसार विस्तार किया जाएगा।

13.8 कठिन, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों का वेतन बढ़ाया जाएगा ताकि उन्हें इन क्षेत्रों में अधिक समय के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

13.9 डॉक्टर, पैरा-मैडिकल और तकनीकी कर्मचारियों के सभी रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भर कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी तथा प्रशिक्षित जनशक्ति को रोज़गार के अवसर भी प्राप्त हों।

13.10 ग्राम स्तर तक स्वास्थ्य शिविरों की निगरानी के लिए एक विशेष नोडल एजेन्सी बनाई जाएगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि इन शिविरों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हो, इनमें मुफ्त दवाएं वितरित हों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं प्राप्त हों।

13.11 कठिन, दुर्गम व भारी बर्फबारी से प्रभावित स्थानों के लिए हैली-एम्बुलैंस सेवा आरम्भ की जाएगी।

(14)

• सड़कें, पुल और सुरंगें

14.1 भूमि अधिग्रहण के मामलों में "फैक्टर-II" लागू किया जाएगा ताकि सभी भू-मालिकों को उचित मुआवजा मिल सके।

14.2 सभी गांव को इसी अवधि में मोटर योग्य सड़क से जोड़ा जाएगा ताकि सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो, यात्रा में कम समय लगे तथा पर्यटन को बढ़ावा मिले।

14.3 सड़कों के लिए "गुणवत्तामानकों" को बढ़ाया जाएगा ताकि पूरे राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बनाई जाएं।

14.4 सड़कों के उचित रख-रखाव के लिए एक नीति तैयार की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन राशि निर्धारित की जाएगी।

14.5 यात्रा की दूरी और समय को कम करने के लिए पुलों और सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

14.6 सभी जिला मुख्यालयों को 4- लेन सड़क से जोड़ा जाएगा।

14.7 राज्य में अधिक से अधिक मार्गों को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार से प्रभावी रूप से मामला उठाया जाएगा। इनके लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाई जाएगी और साथ ही साथ यह सुनिश्चत किया जाएगा कि सभी भू-मालिकों के हितों की पूरी रक्षा हो।

14.8 शहरों और कस्बों में पैदल चलने वाले मार्ग, ओवर ब्रिज तैयार किए जाएंगे ताकि पैदल चलने वाले तथा स्कूल के बच्चों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जा सके।

(15)

• रेल सेवा

15.1 पहले से घोषित भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे।

15.2 बद्दी-चण्डीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर के निर्माण कराने को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि इस क्षेत्र का तीव्र विकास हो और बेहतर औद्योगिकरण हो सके।

15.3 पठानकोट-जोगिन्दरनगर और कालका-शिमला रेल लाईनों का सुधार और ज्यादा रेलगाड़ियों को चलवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(16)

• कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सम्बन्धित सेवाएं

16.1 "राज्य कृषि एवं बागवानी आयोग" का गठन किया जाएगा जो उत्पादकता और किसानों की आया में वृद्धि, कृषि व बागवानी उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इत्यादि की सिफारिशें करेगा जिसे सरकार प्राथमिकता पर लागू करेगी।

16.2 कृषि व बागवानी भूमि तथा फसल को जंगली व आवारा जानवरों और बन्दरों द्वारा किए गए नुक्सान को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

16.3 कृषि व बागवानी भूमि की फैन्सिग के लिए 90% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही छोटे आकार के जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए जमीन छूती हुई बाड़ लगाने पर भी सब्सिडी दी जाएगी।

16.4 कृषि व बागवानी के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, कृषि उपकरणों आदि पर 90% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

16.5 ऐण्टी-हेल नैट के लिए 90% सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा इसकी अधिकतम सीमा 3.00 लाख रूपये कर दी जाएगी।

16.6 छोटे और सीमांत किसानों को 1.00 लाख रूपये के कृषि ऋण/व्याज माफ किए जाएंगे।

16.7 राज्य के सभी जिलों में विभिन्न फलों के बगीचों के जीर्णोद्धार और पुराने पौधों को बदलने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की जाएगी।

16.8 किसानों को कृषि और बागवानी बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण को समय पर उपलब्ध कराने के लिए एक नोडल एजेन्सी बनाई जाएगी।

16.9 रेन हार्वेस्टिंग सरंचना के लिए 90% सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन मिले।

16.10 बागवानों को शोषण से बचाने के लिए समान वैश्विक डिब्बों (यूनिफॉर्म यूनिवर्सल कार्टन) की नीति को लागू किया जायेगा।

16.11 सेब के आयात शुल्क को वर्तमान शुल्क से कम से कम तीन गुना बढ़ाने तथा डब्ल्यू टी ओ समझौते में सेब को विशेष श्रेणी में शामिल करने के लिए प्रभावी रूप से केन्द्र सरकार से मामला उठाया जाएगा।

16.12 राज्य में सी०ए० स्टोर की श्रृखंला के निर्माण पर बल दिया जाएगा ताकि किसानों को अपने उत्पाद का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो।

16.13 पूरे राज्य में सिंचाई परियोजनाओं का नैटवर्क विकसित किया जाएगा। चल रही सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जाएगा तथा नई सिंचाई योजनाएं आवश्यक बजट प्रावधान कर प्रारंभ की जाएगी।

16.14 राज्य में सिंचाई के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए टयूबवैल/बोर-वैल के लिए विशेष वित्तीय सहायता/सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

16.15 फलों की छोटी विधायन इकाई स्थापित करने के लिए 4% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। सरकार स्वयं भी फल उत्पादक क्षेत्र में इस तरह की इकाईयां स्थापित करेगी ।

16.16 किसानों की विस्तार सेवाएं सुधारी जाएंगी और एक तंत्र विकसित किया जाएगा ताकि किसानों को उनके घरों पर ही सभी कृषि संबंधी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों।

16.17 नकली बीज, उर्वरक इत्यादी की बिक्री को एक गंभीर दण्डनीय अपराध बनाया जाएगा और इस पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

16.18 किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए अधिक मंडियों की स्थापना की जाएगी। किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए बाजार समितियों की फीस तर्कसंगत ढंग तरीके से निर्धारित की जाएगी।

16.19 राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

16.20 कृषि, बागवानी, चाय तथा मत्स्य क्षेत्र के पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके।

16.21 राज्य चाय बोर्ड को और सशक्त किया जाएगा ताकि चाय बागान, चाय सहकारी सभाओं तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों की भलाई के लिए उपयुक्त योजना बनाई जा सके।

16.22 पशु प्रजनन में गुणवत्ता सुधार और उनसे प्राप्त उत्पादक के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी।

16.23 विभाग द्वारा प्रदान की जा रही मुफ्त पशु चिकित्सा दवाओं में और दवाएं शामिल की जाएंगी। अक्सर उपयोग की जाने वाली दवाएं और इंजेक्शन किसानों के दरवाजे पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

16.24 दुग्ध उत्पादन से जुड़ी महिलाओं सहकारी सभाओं कों प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिक अनुदान राशि जारी की जाएगी।

16.25 दुग्ध खरीद मूल्य को इस स्तर तक बढ़ाया जाएगा ताकि दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध उत्पादन से उचित लाभ मिले तथा नए परिवार इस व्यवसाय में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित हों।

16.26 रेशम उद्योग के पुर्नत्थान के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी। मलबरी तथा टसर रेशम से संबंधित कृषि क्षेत्र में बाड़ लगा कर तथा उचित पद्धति अपनाकर इन क्षेत्रों का पुर्नत्थान किया जाएगा।

(17)

• वन एवं पर्यावरण

17.1 नई वन और पर्यावरण नीति बनाई जाएगी ताकि राज्य की बहुमूल्य वन सम्पदा और पर्यावरण की रक्षा कर राज्य में बेहतर पर्यावरण प्रदान किया जा सके।

17.2 वन विभाग में गार्ड स्तर तक तत्काल रिर्पोटिंग तथा वन अपराधों के रोकथाम और वन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक संचार प्रणाली प्रदान की जाएगी।

17.3 वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी ताकि सभी पात्र अनुसूचित जनजातियों के सदस्य व वन निवासियों को एक समयबद्ध रूप से वन अधिकार प्रदान किए जा सकें और विकास परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी मिल सके।

17.4 बन्दरों का खतरा इतना बढ़ गया है कि किसानों ने अपनी कृषि व बागवानी भूमि को खाली छोड़ना शुरू कर दिया है। सरकार छः महीने के भीतर फसल की बन्दरों से सुरक्षा के लिए एक निश्चित नीति बनाएगी और वन विभाग को यह स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि इस समस्या का समाधान एक वर्ष के भीतर किया जाएगा।

17.5 इको-टूरिज्म को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा इन इकाईयों के आबंटन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

17.6 घूमन्तू समुदायों को अपने पशुओं के साथ प्रस्थान करते समय पुलिस सरंक्षण दिया जाएगा तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों को चराई के अधिकार देकर परमिट प्रणाली से राहत प्रदान की जाएगी।

(18)

• खाद्य सुरक्षा

18.1 बी०पी०एल० और ए०पी०एल० परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण

प्रणाली के अन्तर्गत अधिक खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाएगा।

18.2 पूरे राज्य में और अधिक पी०डी०एस० की दुकानें खोली जाएंगी ताकि जनता को खाद्य पदार्थों की आसानी से प्राप्ति हो।

18.3 दूर-दराज़ और कठिन क्षेत्रों में खाद्यान्नों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए "मोबाइल वैन" चलाई जाएगी।

(19)

• परिवहन

19.1 प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जाएगी जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण और इन्हें कम करने बारे अपनी सुझाव देगी। इस समिति के सुझावों को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा ताकि बहुमूल्य जीवन बचाये जा सके।

19.2 जिला/उप-मण्डल /तहसील/उप-तहसील स्तर पर पार्किंग का निर्माण किया जाएगा ताकि वाहनों का सुगम प्रवाह व आम जनता को पार्किंग सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

19.3 हिमाचल सड़क परिवहन निगम ने पुरानी बसों की जगह नई बसें प्रदान कर तथा अतिरिक्त नई बसें जोड़कर अपने बेड़े को उन्नत कर लिया है। यह प्रक्रिया अगले पॉच वर्ष भी जारी रखी जाएगी तथा निगम के बेड़े में पुरानी बसें पूर्ण रूप से बदल दी जाएंगी। आवश्यकतानुसार नए बस रूट भी स्वीकृत किए जाएंगे।

19.4 हिमाचल सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के पैन्शन फंड के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि निगम के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हों।

19.5 हिमाचल सड़क परिवहन निगम में सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता पर भरा जाएगा ताकि इस आवश्यक सेवा को उपलब्ध कराने में कर्मचारियों की कोई कमी न हो।

19.6 बसों, टैम्पों, टैक्सी और तीन पहिया वाहनों के लिए "परमिट नीति" का उदारीकरण किया जाएगा ताकि राज्य में परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो तथा स्वरोज़गार के अवसर प्राप्त हों।

19.7 जिला/उप-मण्डल स्तर पर मिनी लोकल बस सेवा शुरू की जाएगी जिसमें महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें विशेष रूप से आरक्षित की जाएंगी।

(20)

• पर्यटन और नागरिक उड्डयन

20.1 हिमाचल प्रदेश को पर्यटन आधारित राज्य विकसित किया जाएगा जिसके लिए विश्व स्तर का अवसरंचना प्रदान की जाएगी। राज्य की आय व रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए निजि क्षेत्र को पर्यटन में विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

20.2 प्राकृतिक, ग्रामीण, बागवानी, साहसिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास किए जाएंगे तथा पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं व नए पर्यटन स्थान उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि हिमाचल प्रदेश में वे ज्यादा अवधि तक ठहरें।

20.3 "होम-स्टे स्कीम" को और उदार बनाया जाएगा। इन इकाईयों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कमरों की अधिकतम संख्या को 3 कमरों से बढ़ाकर 5 कर दी जाएगी। अन्य सुविधाएं जैसे कि बिजली व पानी प्रभार की दरें घरेलू दर के समान रखी जाएंगी।

20.4 सभी पर्यटक स्थलों पर पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।

20.5 हिमाचल के युवाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यटन में विशेष कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

20.6 राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए हैली-टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी।

20.7 शिमला, गगल और भून्तर हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा तथा प्रतिष्ठित कम्पनियों के माध्यम से इन हवाई अड्डों के लिए रियायती दर पर अतिरिक्त उड़ानें प्रारम्भ की जाएंगी।

20.8 पर्यटन के विकास के लिए रोपवे का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाएगा।

20.9 विदेशी और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे।

20.10 10 या इससे कम कमरों के लिए होटल/पर्यटन इकाई लगाने पर युवाओं को उनके द्वारा लिए गए ऋण पर राज्य सरकार सब्सिडी देगी।

20.11 युवाओं द्वारा स्वरोज़गार के लिए टैक्सी खरीदने पर उनके द्वारा लिए गए ऋण पर राज्य सरकार सब्सिडी देगी।

(21)

• उद्योग

21.1 राज्य के औद्योगिकीकरण में हिमाचल के युवाओं को रोज़गार के अवसर और पर्यावरण की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिनमें रोज़गार के अवसर ज्यादा हों और वातावरण के अनुकूल हों।

21.2 हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए उद्योग में रोज़गार की अधिक प्रतिशतता सुनिश्चित की जाएगी तथा इस विषय में सख्त निगरानी रखी जाएगी।

21.3 न्यूनतम मज़दूरी को बढ़ा कर 350 रूपये प्रतिदिन किया जाएगा।

21.4 असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की आर्थिक सुरक्षा के लिए पैन्शन योजना बनाई जाएगी।

21.5 कमजोर उद्योगों के पुनरूद्धार की नीति को और उदार बनाया जाएगा ताकि कमजोर इकाइयां आर्थिक रूप से कारगर हो सके।

21.6 ऊर्जा टैरिफ नीति को संशोधित कर अधिशेष बिजली उद्योगों को उचित दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

21.7 कौशल विकास निगम को तकनीकी संस्थानों व व्यवसायिक पाठ्क्रमों से प्रशिक्षित युवाओं को रोज़गार प्रदान करवाने के लिए नोडल एन्जेसी बनाया जाएगा। यह निगम की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रशिक्षित युवाओं को उद्योग में रोज़गार के उचित अवसर प्रदान करवाए।

21.8 हथकरघा और हस्तशिल्प को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोज़गार उपलब्ध हो।

(22)

• ऊर्जा

22.1 राज्य में नई पनबिजली परियोजनाओं को आबंटित करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि उनमें परियोजना प्रभावित परिवारों और स्थानीय परिवारों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हों और पर्यावरण के अनुकूल हों।

22.2 परियोजना प्रभावित परिवारों को सभी नई परियोजनाओं में शेयरधारक बनाया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना प्रभावित परिवारों के हित तथा परियोजना की व्यवहार्यता में कोई टकराव न हो।

22.3 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लिए एक वित्तीय पैकेज तैयार किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं के हितों के साथ-साथ बोर्ड के कर्मचारियों के हित भी पूरी तरह सरंक्षित रहें।

22.4 वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा ताकि समय और लागत में वृद्धि को रोका जा सके।

(23)

• ग्रामीण विकास

23.1 "मनरेगा" के अन्तर्गत मिलने वाली मज़दूरी को राज्य में दी जाने वाली न्यूनतम मज़दूरी के समान किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

23.2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि आम जनता अपने गांवों में एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।

23.3 ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना पर विशेष बल दिया जाएगा जिसकी पात्रता के लिए आय सीमा बढ़ाई जाएगी तथा अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

23.4 ऐसी पंचायतों को विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनके द्वारा अतिरिक्त वन पौधारोपण व सरंक्षण का सराहनीय कार्य किया गया हो।

23.5 पंचायत मुख्यालयों और गांवों में, विशेषकर जहां वाहनों की संख्या अधिक है, में पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे।

23.6 ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सीवरेज़ सुविधा प्रदान की जाएगी।

(24)

• शहरी विकास

24.1 वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण सभी शहरी इलाकों को भारी यातायात और पार्किंग की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निवारण जरूरी है। इस समस्या को प्राथमिकता पर हल किया जाएगा। सभी शहरी क्षेत्रों में पर्यापत पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जाएगा तथा सड़कों को आवश्यकतानुसार चौड़ा भी किया जाएगा।

24.2 जिला मुख्यालय "स्मार्ट शहर" की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे जिसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा।

24.3 शहरों में गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए भूमि आबंटित की जाएगी जिसके लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

24.4 शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबन्धन भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार कचरा प्रबन्धन संयत्र स्थापित किए जाएंगे।

(25)

• देव स्थान

25.1 मन्दिर और देवता हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। इस देव भूमि में कई प्राचीन मन्दिर हैं और नए मन्दिरों का निर्माण भी पिछले कुछ दशकों में हुआ है। इन मन्दिरों की मुख्य सरंचना को सरंक्षित करने, मुरम्मत और रख-रखाव करना बहुत आवश्यक है । इन मन्दिरों के सरंक्षण, मुरम्मत व रख-रखाव के लिए एक विस्तृत नीति बनाई जाएगी जिसके लिए राज्य सरकार से पर्याप्त वित्तीय समर्थन दिया जाएगा।

25.2 राज्य समर्थित मन्दिरों के लिए वार्षिक अनुदान की सीमा को और अधिक बढ़ाया जाएगा।

25.3 मन्दिरों की सुरक्षा के लिए सी०सी०टी०वी० कैमरा, सुरक्षा गार्ड इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

(26)

• कानूनी सेवायें

26.1 हिमाचल प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याण और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण बोर्ड" का गठन किया जाएगा।

26.2 जिला उपमण्डल स्तर पर अधिवक्ताओं के कक्षों के निर्माण के लिए लीज़ पर सरकारी भूमि आबंटित की जाएगी।

(27)

- **अन्य**

27.1 विभिन्न विकास एवं कल्याण योजनाओं की पात्रता के लिए न्यूनतम आय सीमा को 35,000 रूपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 60,000 रूपये प्रति वर्ष कर दिया जाएगा।

27.2 आगंनवाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।

27.3 कठिन और दुर्गम स्थानों पर नियमों में ढील देकर शिक्षा व स्वास्थ्य संस्थान तथा सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे।

27.4 जनता को इलैक्ट्रोनिक राशन कार्ड समयबद्ध रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

27.5 टी०डी० नीति को और उदार बनाया जाएगा।

समर्थन
आपका

जीतेगी
कांग्रेस

जीतेगा
हिमाचल

जय भारत जय कांग्रेस जय हिमाचल